

 सत्यमेव जयते	<b>राजस्थान राज-पत्र</b> <b>विशेषांक</b>	<b>RAJASTHAN GAZETTE</b> <b>Extraordinary</b>
	साधिकार प्रकाशित	<i>Published by Authority</i>
	फाल्गुन 13, मंगलवार, शाके 1935-मार्च 4, 2014 <i>Phalguna 13, Tuesday, Saka 1935-March 4, 2014</i>	

भाग 4 (क)

राजस्थान विधान मंडल के अधिनियम।

**विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग**

**(ग्रुप-2)**

अधिसूचना

**जयपुर, मार्च 4, 2014**

**संख्या प. 2 (11) विधि/2/2014**—राजस्थान राजभाषा अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम सं. 47) की धारा 4 के परन्तुक के अनुसरण में "दी राजस्थान फोरेस्ट (अमेण्डमेन्ट) एक्ट, 2014 (एक्ट नं. 8 ऑफ 2014)" का हिन्दी अनुवाद सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है:—

**(प्राधिकृत हिन्दी अनुवाद)**

**राजस्थान वन (संशोधन) अधिनियम, 2014**

**(2014 का अधिनियम संख्यांक 8)**

[राज्यपाल महोदया की अनुमति दिनांक 3 मार्च, 2014 को प्राप्त हुई]

राजस्थान वन अधिनियम, 1953 को और संशोधित करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है, अर्थात्:-

**1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**- (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान वन (संशोधन) अधिनियम, 2014 है।

(2) यह राजस्थान राजपत्र में इसके प्रथम प्रकाशन की तारीख को और से प्रवृत्त होगा।

**2. 1953 के राजस्थान अधिनियम सं. 13 की धारा 26 का संशोधन.**- राजस्थान वन अधिनियम, 1953 (1953 का अधिनियम सं. 13) जिसे इसमें आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 26 की

विद्यमान उप-धारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(1) जो कोई व्यक्ति, आरक्षित वन में,-

- (क) अतिचार करेगा या पशु चराएगा या पशुओं को अतिचार करने देगा;
- (ख) किसी वृक्ष को गिराने, उखाड़ने, संपरिवर्तित करने या किसी इमारती लकड़ी को काटने या घसीटने में उपेक्षा द्वारा कोई नुकसान पहुंचायेगा; या
- (ग) किसी वृक्ष या उसके भाग को गिरायेगा, उखाड़ेगा, परितक्षण करेगा, छांटेगा, छेकेगा या उसे जलायेगा या उसकी छाल उतारेगा या पत्तियां तोड़ेगा, या उसे अन्यथा नुकसान पहुंचायेगा;

वह वन को नुकसान पहुंचाने के कारण ऐसे प्रतिकर के अतिरिक्त जिसका संदाय किया जाना सिद्धदोष करने वाला न्यायालय निर्दिष्ट करे, ऐसी अवधि के कारावास से, जो छह मास तक का हो सकेगा, या जुर्माने से, जो पांच सौ रुपये तक हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा।

(1-क) जो कोई व्यक्ति-

- (क) धारा 5 के अधीन प्रतिषिद्ध नई कटाई-सफाई करेगा; या
- (ख) आरक्षित वन में आग लगायेगा, या इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा बनाये गये किन्हीं नियमों का उल्लंघन करते हुए ऐसी रीति से आग जलायेगा या आग को जलते छोड़ देगा जिससे ऐसा वन संकटापन्न हो जाये, या

जो, आरक्षित वन में,-

- (ग) ऐसी ऋतुओं में के सिवाय, जिन्हें वन अधिकारी इस निमित्त अधिसूचित करे, कोई आग जलायेगा, रखेगा या ले जायेगा;
- (घ) पत्थर की खुदाई करेगा, चूना या लकड़ी का कोयला फूँकेगा या किसी वन-उपज का संग्रह करेगा, उससे कोई विनिर्माण प्रक्रिया करेगा या उसे हटायेगा;

- (ड) खेती या किसी अन्य प्रयोजन के लिए किसी भूमि को साफ करेगा या तोड़ेगा;
- (च) राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त बनाये गये किन्हीं नियमों के उल्लंघन में शिकार खेलेगा, गोली चलाएगा, मछली पकड़ेगा, जल विषैला करेगा या पाश या जाल बिछायेगा; या
- (छ) वन के अस्तित्व के प्रति अहितकर किसी भी कार्य में लिप्त होगा,

वह वन को नुकसान पहुंचाने के कारण ऐसे प्रतिकर के अतिरिक्त जिसका संदाय किया जाना सिद्धदोष करने वाला न्यायालय निर्दिष्ट करे, ऐसी अवधि के कारावास से, जो छह मास तक का हो सकेगा, या जुर्माने से, जो पच्चीस हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा।"।

**3. 1953 के राजस्थान अधिनियम सं. 13 की धारा 33 का संशोधन.-** मूल अधिनियम की धारा 33 की विद्यमान उप-धारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(1) जो कोई व्यक्ति-

- (क) धारा 30 के अधीन आरक्षित किसी वृक्ष को गिरायेगा, परितक्षण करेगा, छांटेगा, छेकेगा, या जलायेगा या ऐसे किसी वृक्ष की छाल उतारेगा या पत्तियां तोड़ेगा या उसे अन्यथा नुकसान पहुंचायेगा; या
- (ख) किसी वृक्ष को इस प्रकार गिरायेगा या किसी इमारती लकड़ी को इस प्रकार खींचेगा कि यथापूर्वोक्त रूप में आरक्षित किसी वृक्ष को नुकसान पहुंचाता है; या
- (ग) पशुओं को ऐसे किसी वृक्ष को नुकसान पहुंचाने देगा, वह ऐसी अवधि के कारावास से, जो छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पांच सौ रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा।

(1-क) जो कोई व्यक्ति-

- (क) धारा 30 के अधीन वाले किसी प्रतिषेध के प्रतिकूल पत्थर की खुदाई करेगा या चूने या लकड़ी का कोयला

- फूँकेगा, या किसी वन उपज का संग्रहण करेगा, उससे कोई विनिर्माण प्रक्रिया चलाएगा, या उसे हटायेगा; या
- (ख) किसी संरक्षित वन में, धारा 30 के अधीन वाले किसी प्रतिषेध के प्रतिकूल, किसी भूमि को खेती या किसी अन्य प्रयोजन के लिए तोड़ेगा या साफ करेगा; या
- (ग) ऐसे वन को आग लगाएगा, या धारा 30 के अधीन आरक्षित किसी वृक्ष तक, चाहे वह खड़ा हो, गिर गया हो या गिराया गया हो, या ऐसे वन के बन्द किए गए किसी प्रभाग तक फैल जाने से रोकने के लिए युक्तियुक्तपूर्ण पूर्वावधानी बरते बिना आग जलाएगा; या
- (घ) ऐसे किसी वृक्ष या बन्द प्रभाग के सामीप्य में अपने द्वारा जलाई गई किसी आग को जलता छोड़ देगा; या
- (ङ) धारा 32 के अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों का अतिलंघन करेगा,

वह उस अवधि के लिए कारावास से, जो छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पच्चीस हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा।"।

प्रकाश गुप्ता,  
प्रमुख शासन सचिव।

**LAW (LEGISLATIVE DRAFTING) DEPARTMENT**

**(GROUP-II)**

Notification

**Jaipur, March 4, 2014**

**No. F. 2 (11) Vidhi/2/2014.**-The following Act of the Rajasthan State Legislature which received the assent of the

Governor on the 3<sup>rd</sup> day of March, 2014 is hereby published for general information:-

**THE RAJASTHAN FOREST (AMENDMENT) ACT, 2014**  
**(Act No. 8 of 2014)**

[Received the assent of the Governor on the 3<sup>rd</sup> day of March, 2014]

*An*

*Act*

*further to amend the Rajasthan Forest Act, 1953.*

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Sixty-fifth Year of the Republic of India, as follows:-

**1. Short title and commencement.-** (1) This Act may be called the Rajasthan Forest (Amendment) Act, 2014.

(2) It shall come into force on and from the date of its first publication in the Rajasthan Gazette.

**2. Amendment of section 26, Rajasthan Act No. 13 of 1953.-** For the existing sub-section (1) of section 26 of the Rajasthan Forest Act, 1953 (Act No. 13 of 1953), hereinafter referred to as the principal Act, the following shall be substituted, namely:-

“(1) Any person who, in a reserved forest,-

- (a) trespasses, or pastures cattle, or permits cattle to trespass;
- (b) causes any damage by negligence in felling, uprooting, converting any tree or cutting or dragging any timber; or
- (c) fells, uproots, girdles, lops, taps, or burns any tree, or part thereof, or strips off the bark or leaves from, or otherwise damages, the same;

shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to six months or with fine which may extend to five hundred rupees or with both, in addition to such compensation for damage done to the forest as the convicting court may direct to be paid.

- (1-A) Any person who-
- (a) makes any fresh clearing prohibited by section 5; or
  - (b) sets fire to a reserved forest, or in contravention of any rules made by the State Government in this behalf, kindles any fire or leaves any fire burning in such manner, as to endanger such a forest, or who, in a reserved forest,-
  - (c) kindles, keeps or carries any fire except at such seasons, as the Forest Officer may notify in this behalf;
  - (d) quarries stone, burns lime or charcoal, or collects, subjects to any manufacturing process, or removes any forest produce;
  - (e) clears or breaks up any land for cultivation or any other purpose;
  - (f) in contravention of any rules made in this behalf by the State Government hunts, shoots, fishes, poisons water or sets traps or snares; or
  - (g) indulges in any act detrimental to the very existence of the forest,

shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to six months or with fine which may extend to twenty five thousand rupees or with both, in addition to such compensation for damage done to the forest as the convicting court may direct to be paid.”

**3. Amendment of section 33, Rajasthan Act No. 13 of 1953.-** For the existing sub-section (1) of section 33 of the principal Act, the following shall be substituted, namely:-

- “(1) Any person who-
- (a) fells, girdles, lops, taps or burns any tree reserved under section 30, or strips off the bark

or leaves from, or otherwise damages, any such tree; or

- (b) fells any tree or drags any timber so as to damage any tree reserved as aforesaid; or
- (c) permits cattle to damage any such tree,

shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to six months, or with fine which may extend to five hundred rupees or with both.

(1-A) Any person who-

- (a) contrary to any prohibition under section 30, quarries any stone, or burns any lime or charcoal or collects, subjects to any manufacturing process, or removes any forest produce; or
- (b) contrary to the prohibition under section 30, breaks up or clears for cultivation or any other purpose, any land in any protected forest; or
- (c) sets fire to such forest or kindles a fire without taking all reasonable precautions to prevent its spreading to any tree reserved under section 30, whether standing, fallen or felled or to any closed portion of such forest; or
- (d) leaves burning any fire kindled by him in the vicinity of any such tree or closed portion; or
- (e) infringes any rule made under section 32,

shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to six months, or with fine which may extend to twenty five thousand rupees or with both.”

प्रकाश गुप्ता,

**Principal Secretary to the Government.**